"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2016—भाद्र 11, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 782/242/अव./2003/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 26-05-2016 से 10-06-2016 तक 16 दिवस का (दिनांक 11, 12-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती रेजीना टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेजीना टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2016

क्रमांक 802/3533/अव./2014/1-8/स्था.—श्री ए. एच. यूसुफी, लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) को दिनांक 06-06-2016 से 05-07-2016 तक 30 दिवस का (दिनांक 05-06-2016 एवं 06-07-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. एच. यूसुफी आगामी आदेश तक लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (लेखा शाखा) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री ए. एच. यूसुफी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. एच. यूसुफी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 27 मई 2016

क्रमांक 804/3808/अव./2015/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 489-490/3808/अव./2015/1-8/स्था, दिनांक 31-03-2016 द्वारा श्री एन.एम. घोड़की, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को पूर्व में दिनांक 18-04-2016 से 23-04-2016 तक 06 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 24-04-2016 से 28-04-2016 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 31-03-2016 के पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत् लागू होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 31 मई 2016

क्रमांक 810/485/अव./2010/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 673-674/485/अव./2010/1-8/स्था, दिनांक 20-04-2016 द्वारा श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पूर्व में दिनांक 18-04-2016 से 23-04-2016 तक 06 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 24-04-2016 से 26-04-2016 तक 03 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 20-04-2016 के पैरा-2, 3 एवं 4 यथावत् लागू होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 31 मई 2016

क्रमांक 812/475/अव./2010/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 13-05-2016 से 20-05-2016 तक 08 दिवस का (दिनांक 21, 22-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा आगामी आदेश तक अवर सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री के. सी. वर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 31 मई 2016

क्रमांक 814/391/अव./2014/1-8/स्था.—श्री संजय कनकने, अवर सचिव, खनिज साधन विभाग को दिनांक 13-06-2016 से 17-06-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 11, 12, 18, 19, 20-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजय कनकने आगामी आदेश तक अवर सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री संजय कनकने को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कनकने अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 जून 2016

क्रमांक 818/393/अव./2014/1-8/स्था.—श्री प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग को दिनांक 13-06-2016 से 30-06-2016 तक 18 दिवस का (दिनांक 11, 12-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप कुमार दवे आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, कृषि विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री प्रदीप कुमार दवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप कुमार दवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 2 जून 2016

क्रमांक 820/619/अव./2011/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 775-776/619/2011/1-8/स्था, दिनांक 13-05-2016 द्वारा श्री जी. एल. सांकला, अवर सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 18-05-2016 से 25-05-2016 तक 08 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 7 जून 2016

क्रमांक 826/534/अव./2010/1-8/स्था.—श्री अशफाक हुसैन सिद्धिकी, अवर सचिव, पशुधन एवं मछलीपालन विभाग को दिनांक 21-06-2016 से 08-07-2016 तक 18 दिवस का (दिनांक 18, 19, 20-06-2016 एवं 09, 10-07-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अशफाक हुसैन सिद्धिकी आगामी आदेश तक अवर सचिव, पशुधन एवं मछलीपालन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अशफाक हुसैन सिद्धिकी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशफाक हुसैन सिद्धिकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 जून 2016

क्रमांक 952/1672/अव./2015/1-8/स्था.—श्री राजशेखर शर्मा, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 24-05-2016 से 04-06-2016 तक 12 दिवस का (दिनांक 05-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजशेखर शर्मा आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री राजशेखर शर्मा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजशेखर शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. राजपूत, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 3-62/2008/गृह-दो.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 38 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03 अप्रैल, 2013 द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार का गठन किया गया है.

2. अत: उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार में माननीय न्यायमूर्ति श्री इंदर सिंह उबोवेजा, (सेवानिवृत्ति छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये अध्यक्ष नियुक्त करता है.

3. शासकीय आवास गृह उपलब्ध नहीं कराया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2016

क्रमांक/एफ 7-10/2014/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री पी. एस. गौतम, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छसबल, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 13-06-2016 से 23-06-2016 तक कुल 11 दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक 11 एवं 12-06-2016 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. गौतम आगामी आदेश तक उप पुलिस महानिरीक्षक, छसबल, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पी. एस. गौतम को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. एस. गौतम, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2016

क्रमांक/एफ 7-12/2016/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री डी. रविशंकर, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ को दिनांक 15-07-2016 से 21-07-2016 तक कुल 07 दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. रविशंकर आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, कबीरधाम के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री डी. रविशंकर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. रविशंकर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री डी. रविशंकर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, कबीरधाम का अतिरिक्त प्रभार श्री ए. आर. कोर्राम, भापुसे, सेनानी, प्रथम वाहिनी, भिलाई, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपे जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-07/2016/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री प्रदीप गुप्ता, (भापुसे), पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 27-06-2016 से 04-07-2016 तक (कुल 08 दिवस) का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक 26-06-2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप गुप्ता आगामी आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर, छत्तीसगढ़ के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुप्ता भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2016

क्रमांक/एफ 7-08/2014/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री टी. जे. लांगकुमेर, (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल/यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को दिनांक 25-07-2016 से 24-08-2016 तक (कुल 30 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 24 जुलाई एवं 25 अगस्त 2016 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री टी. जे. लांगकुमेर आगामी आदेश तक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल/यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लांगकुमेर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लांगकुमेर, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री टी. जे. लांगकुमेर, (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल/यातायात, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि का प्रभार श्री आर. के. विज, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यो.प्र./तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 11646/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2.—विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीफ 2016 हेतु जारी अधिसूचना क्र. 11353 दिनांक 21-07-2016 के परिशिष्ट-1 में संचालक कृषि के पत्र क्र./सां./PMFBY/2016-17/1864 दिनांक 29-07-2016 द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव अनुसार जिला, तहसील एवं राजस्व निरीक्षक मण्डलवार (आर.आई.सर्किल) निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को सम्मिलित/विलोपित करते हुए एतद्द्वारा संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है :—

1. जिला-रायपुर, तहसील-अभनपुर, आर.आई. सर्किल-नवापारा, सरल क्रमांक-48 उल्लेखित ग्राम पंचायत-टेकारी को विलोपित करते हुए जिला-रायपुर, तहसील-अभनपुर, आर.आई. सर्किल-अभनपुर, पृष्ठ क्रमांक-4 में अंतिम सरल क्रमांक-43 के आगे सरल क्र. 44 में ग्राम पंचायत टेकारी को धान सिंचित फसल के अंतर्गत जोड़ा जाता है.

2. जिला-जशपुर, तहसील-बगीचा, आर.आई. सर्किल-सन्ना (पृष्ठ क्र. 212) से संबंधित तालिका के सरल क्र. 38 ग्राम पंचायत दनगरी में पूर्व अधिसूचित फसल के अतिरिक्त मक्का फसल को अधिसूचित किया जाता है.

3. जिला-जशपुर, तहसील-पत्थलगांव, आर.आई. सर्किल-पत्थलगांव (पृष्ठ क्र. 217) से संबंधित तालिका के सरल क्र. 47 ग्राम पंचायत सूरजगढ़ में तुअर फसल को विलोपित करते हुए मूंगफली फसल को शामिल किया जाता है. इस ग्राम पंचायत की शेष अधिसूचित फसलें यथावत् रहेगी.

4. पृष्ठ क्र. 242 में जिला-नारायणपुर, तहसील-नारायणपुर, आर.आई. सर्किल-नारायणपुर, अंतिम सरल क्रमांक-45 से आगे सरल क्र. 46 के रूप में ग्राम पंचायत एड़का में धान सिंचित, मक्का एवं उड़द फसल को जोड़कर अधिसूचित किया जाता है.

पूर्व में जारी अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक/11966/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13017/01/2016-Credit II दिनांक 03-08-2016 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीफ 2016 हेतु छ.ग. शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9283 दिनांक 13-05-2016 के बिन्दु क्रमांक 09 की तालिका सरल क्रमांक 02 में "गतिविधि" ऋणी एवं अऋणी कृषकों से बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तिथि, के सम्मुख दर्शित "समय-सीमा" "31 जुलाई" के स्थान पर "10 अगस्त, 2016" प्रतिस्थापित की जाती है.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक/11997/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीफ 2016 हेतु विभागीय अधिसूचना क्र. 11353 दिनांक 21-07-2016 के परिशिष्ट-1 में आयुक्त, भू-अभिलेख के पत्र क्र./3018-B, 3027-B तथा 3030-A दिनांक 30-07-2016 द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव अनुसार जिला, तहसील एवं राजस्व निरीक्षक मण्डलवार (आर.आई. सर्किल) निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को विभिन्न फसलों के अंतर्गत सम्मिलित/विलोपित किया जाता है :—

1. जिला-रायपुर, तहसील-रायपुर, आर.आई.सर्किल-रायपुर-1 की तालिका में सरल क्र. 19 के रूप में निम्नानुसार ग्राम पंचायत को उनके सम्मुख दर्शित फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
19	काठाडीह	काठाडीह	-	-	-	-	-	-	-

2. जिला-रायपुर, तहसील-अभनपुर, आर.आई.सर्किल-नवापारा की तालिका की अंतिम सरल क्र. 50 से आगे सरल क्र. 51 में निम्नानुसार ग्राम पंचायत को अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
51	तर्रा	तर्रा	तर्रा	-	-	-	-	-	-

3. जिला-रायपुर, तहसील-आरंग, आर.आई.सर्किल-आरंग की तालिका की अंतिम सरल क्र. 77 से आगे सरल क्र. 78 एवं 79 में निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को उनके सम्मुख दर्शित फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
78	ओड़का	ओड़का	ओड़का	-	-	-	-	-	-
79	कलई	कलई	-	कलई	-	-	-	-	-

4. जिला-रायपुर, तहसील-आरंग, आर.आई.सर्किल-मंदिर हसौद की तालिका की अंतिम सरल क्र. 62 से आगे सरल क्र. 63 में निम्नानुसार ग्राम पंचायत को अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
63	बिरबिरा	बिरबिरा	-	-	-	-	-	-	-

5. जिला-गरियाबंद, तहसील-गरियाबंद, आर.आई.सर्किल-गरियाबंद की तालिका की अंतिम सरल क्र. 59 से आगे सरल क्र. 60 में निम्नानुसार ग्राम पंचायत को अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
60	नहरगांव (तंवरबाहरा)	नहरगांव (तंवरबाहरा)	नहरगांव (तंवरबाहरा)	–	–	–	–	–	–

6. जिला-गरियाबंद, तहसील-छुरा, आर.आई.सर्किल-छुरा की तालिका की अंतिम सरल क्र. 75 से आगे सरल क्र. 76 में निम्नानुसार ग्राम पंचायत को उसके सम्मुख दर्शित फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
76	जामली	जामली	जामली	–	–	–	–	–	–

7. जिला-गरियाबंद, तहसील-राजिम, आर.आई.सर्किल-राजिम की तालिका की अंतिम सरल क्र. 70 से आगे सरल क्र. 71 से 76 तक निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को विभिन्न फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
71	बोड़की	बोड़की	बोड़की	–	–	–	–	–	–
72	बिजली	बिजली	–	–	–	–	–	–	–
73	चरभठ्ठी	–	चरभठ्ठी	–	–	–	–	–	–
74	पाली	पाली	–	–	–	–	–	–	–
75	राजिम	राजिम	–	–	–	–	–	–	–
76	फिंगेश्वर	फिंगेश्वर	फिंगेश्वर	–	–	–	–	–	–

8. जिला-गरियाबंद, तहसील-मैनपुर, आर.आई.सर्किल-मैनपुर की तालिका की अंतिम सरल क्र. 69 से आगे सरल क्र. 70 से 73 तक निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को उनके सम्मुख दर्शित फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
70	कोदोभाठा	कोदोभाठा	कोदोभाठा	कोदोभाठा	–	–	–	–	–
71	खोखमा	–	खोखमा	खोखमा	–	–	–	–	–
72	बुड़गेलटप्पा	–	बुड़गेलटप्पा	बेड़गेलटप्पा	–	–	–	–	–
73	धरनीगुड़ा	धरनीगुड़ा	धरनीगुड़ा	धरनीगुड़ा	–	–	–	–	–

9. जिला-बिलासपुर, तहसील-पेण्ड्रा, आर.आई.सर्किल-पेण्ड्रा की तालिका की अंतिम सरल क्र. 39 से आगे सरल क्र. 40 में ग्राम पंचायत अड़मार को धान असिंचित फसल के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है.

10. जिला-राजनांदगांव, तहसील-राजनांदगांव, आर.आई.सर्किल-राजनांदगांव-1 की तालिका सरल क्रमांक 6 ग्राम पंचायत जोरातरई (ब) में धान असिंचित फसल को सम्मिलित किया जाता है. शेष अधिसूचित फसल यथावत् रहेगी.

11. जिला-राजनांदगांव, तहसील-डोंगरगांव, आर.आई.सर्किल-तुमड़ीबोड़ से संबंधित तालिका के अंतिम सरल क्र. 26 से आगे सरल क्र. 27 में ग्राम पंचायत-किरगी (बनहरदी) को धान सिंचित एवं धान असिंचित फसल के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है.

12. जिला-राजनांदगांव, तहसील-छुईखदान, आर.आई.सर्किल-गंडई की तालिका के सरल क्र. 33 ग्राम पंचायत कालेगोदी को पूर्व अधिसूचित फसलों के अलावा धान असिंचित फसल के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है.

13. जिला-महासमुंद, तहसील-महासमुंद, आर.आई.सर्किल-पटेवा की तालिका में सरल क्रमांक 61 ग्राम पंचायत-बंबूरडीह को जोड़ते हुए धान सिंचित एवं धान असिंचित फसल के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है.

14. जिला-बलौदाबाजार, तहसील-बलौदाबाजार, आर.आई.सर्किल-बलौदाबाजार की तालिका के अंतिम सरल क्रमांक 45 से आगे सरल क्रमांक 46 के रूप में ग्राम पंचायत भरसेला (बड़ा) को धान सिंचित एवं धान असिंचित फसल के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है.

15. जिला-बलौदाबाजार, तहसील-बलौदाबाजार, आर.आई.सर्किल-लवन की तालिका की अंतिम सरल क्र. 55 से आगे सरल क्र. 56 से 60 तक निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को विभिन्न फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
56	सिंघारी	सिंघारी	सिंघारी	–	–	–	–	–	–
57	सुनसुनिया	–	सुनसुनिया	–	–	–	–	–	–
58	भद्रा	भद्रा	भद्रा	–	–	–	–	–	–
59	सुढ़ेली	सुढ़ेली	–	–	–	–	–	–	–
60	लवनबंद	लवनबंद	–	–	–	–	–	–	–

16. जिला-बलौदाबाजार, तहसील-पलारी, आर.आई.सर्किल-पलारी की तालिका की अंतिम सरल क्र. 51 से आगे सरल क्र. 52 से 56 तक निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को विभिन्न फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
52	कोसमंदी	कोसमंदी	–	–	–	–	–	–	–
53	छड़िया	छड़िया	छड़िया	–	–	–	–	–	–
54	खपरी (भ)	खपरी (भ)	–	–	–	–	–	–	–
55	सोनारदेवरी	सोनारदेवरी	सोनारदेवरी	–	–	–	–	–	–
56	चोरहाडीह	चोरहाडीह	–	–	–	–	–	–	–

17. जिला-बलौदाबाजार, तहसील-पलारी, आर.आई.सर्किल-संडी की तालिका की अंतिम सरल क्र. 48 से आगे सरल क्र. 49 से 53 तक निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को विभिन्न फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
49	सरसेनी	सरसेनी	सरसेनी	–	–	–	–	–	–
50	संकरी	संकरी	–	–	–	–	–	–	–
51	बोहारडीह	बोहारडीह	–	–	–	–	–	–	–
55	पठारीडीह	पठारीडीह	–	–	–	–	–	–	
53	जुनवानी	जुनवानी	–	–	–	–	–	–	–

18. जिला–बलौदाबाजार, तहसील–बिलाईगढ़, आर.आई.सर्किल–बिलाईगढ़ की तालिका की अंतिम सरल क्र. 42 से आगे सरल क्र. 43 में ग्राम पंचायत मड़कड़ी को निम्नानुसार फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
43	मड़कड़ी	मड़कड़ी	मड़कड़ी	–	–	–	–	–	–

19. जिला–बलौदाबाजार, तहसील–बिलाईगढ़, आर.आई.सर्किल–भटगांव की तालिका की अंतिम सरल क्र. 70 से आगे सरल क्र. 71 से 73 तक निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को विभिन्न फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
71	गंगोरी	–	गंगोरी	–	–	–	–	–	–
72	मोहतरा (न)	–	मोहतरा (न)	–	–	–	–	–	–
73	चारपाली	–	चारपाली	–	–	–	–	–	–

20. जिला–बलौदाबाजार, तहसील–कसडोल, आर.आई.सर्किल–कसडोल की तालिका में सरल क्र. 43 से 45 तक निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को विभिन्न फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
43	भरदा	भरदा	भरदा	–	–	–	–	–	–
44	खर्वे	खर्वे	खर्वे	–	–	–	–	–	–
45	भिंभौरी	भिंभौरी	–	–	–	–	–	–	–

21. जिला–बलौदाबाजार, तहसील–कसडोल, आर.आई.सर्किल–गिधौरी की तालिका के अंतिम सरल क्रमांक 51 में ग्राम पंचायत देवतराई को विलोपित कर उसके स्थान पर सरल क्र. 51 में धमलपुरा तथा सरल क्रमांक 52 से 66 तक निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को विभिन्न फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
51	धमलपुरा	धमलपुरा	–	–	–	–	–	–	–
52	नवापारा	–	नवापारा	–	–	–	–	–	–
53	मुड़पार	–	मुड़पार	–	–	–	–	–	–
54	ढेबीखार	–	ढेबीखार	–	–	–	–	–	–
55	रवान	–	रवान	–	–	–	–	–	–
56	आमगांव	–	आमगांव	–	–	–	–	–	–
57	चरौदा	चरौदा	चरौदा	–	–	–	–	–	–
58	बड़गांव	–	बड़गांव	–	–	–	–	–	–
59	खपराडीह	खपराडीह	खपराडीह	–	–	–	–	–	–
60	महराजी	महराजी	महराजी	–	–	–	–	–	–
61	भुसड़ीपाली	–	भुसड़ीपाली	–	–	–	–	–	–
62	चिखली	चिखली	–	–	–	–	–	–	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
63	खैरा	खैरा	खैरा	–	–	–	–	–	–
64	कंजिया	कंजिया	–	–	–	–	–	–	–
65	बार	–	बार	–	–	–	–	–	–
66	अर्जुनी 'म'	–	अर्जुनी 'म'	–	–	–	–	–	–

22. जिला–बलौदाबाजार, तहसील–भाटापारा, आर.आई.सर्किल–भाटापारा की तालिका की अंतिम सरल क्रमांक 44 से आगे सरल क्रमांक 45 में ग्राम पंचायत गाड़ाडीह को निम्नानुसार फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
45	गाड़ाडीह	गाड़ाडीह	गाड़ाडीह	–	–	–	–	–	–

23. जिला–बलौदाबाजार, तहसील–भाटापारा, आर.आई.सर्किल–निपनिया की तालिका में सरल क्रमांक 43 से 46 में निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को उसके सम्मुख दर्शित फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
43	गुड़ाघाट	गुड़ाघाट	गुड़ाघाट	–	–	–	–	–	–
44	पासीद	–	पासीद	–	–	–	–	–	–
45	गोढ़ी	गोढ़ी	गोढ़ी	–	–	–	–	–	–
46	खपरी (अ)	खपरी (अ)	खपरी (अ)	–	–	–	–	–	–

24. जिला–बलौदाबाजार, तहसील–सिमगा, आर.आई.सर्किल–सिमगा की तालिका में सरल क्रमांक 40 से 50 के रूप में निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को उसके सम्मुख दर्शित फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
40	खंडवा	खंडवा	–	–	–	–	–	–	–
41	तोरा	तोरा	तोरा	–	–	–	–	–	–
42	मर्राकोना	मर्राकोना	मर्राकोना	–	–	–	–	–	–
43	रेंगाबोड़	रेंगाबोड़	रेंगाबोड़	–	–	–	–	–	–
44	बछेरा	बछेरा	–	–	–	–	–	–	–
45	हरिनभट्ठा	हरिनभट्ठा	हरिनभट्ठा	–	–	–	–	–	–
46	मांढर	मांढर	मांढर	–	–	–	–	–	–
47	बिनैका	बिनैका	बिनैका	–	–	–	–	–	–
48	मुसुवाडीह	मुसुवाडीह	मुसुवाडीह	–	–	–	–	–	–
49	अड़बंधा	अड़बंधा	अड़बंधा	–	–	–	–	–	–
50	ढाबाडीह	ढाबाडीह	ढाबाडीह	–	–	–	–	–	–

25. जिला-बलौदाबाजार, तहसील-सिमगा, आर.आई.सर्किल-जरौद की तालिका की अंतिम सरल क्रमांक 63 से आगे सरल क्र. 64 में ग्राम पंचायत घोंघा को निम्नानुसार फसलों के अंतर्गत अधिसूचित किया जाता है :—

क्र. (1)	ग्राम पंचायत (2)	धान सिंचित (3)	धान असिंचित (4)	मक्का (5)	मूंगफली (6)	तुअर (7)	सोयाबीन (8)	मूंग (9)	उड़द (10)
64	घोंघा	घोंघा	-	-	-	-	-	-	-

26. विभागीय अधिसूचना क्र. 11646 दिनांक 30-07-2016 के सरल क्र. 4 में जिला-नारायणपुर, तहसील-नारायणपुर, आर.आई.सर्किल-नारायणपुर, ग्राम पंचायत एड़का के अंतर्गत अधिसूचित "धान सिंचित" फसल के स्थान पर "धान असिंचित" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 8-7/सात-1/2016.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 53 की उप-धारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अखिल कुमार सामंतराय, सेवा निवृत्त (जिला न्यायाधीश संवर्ग में छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा से) को स्वयं का वेतनमान (सुपर टाईम स्केल 70290-1540-76450) पर, सेवा निवृत्त पर अनुज्ञेय वेतन में से पेंशन (सारांशीकृत अंश को शामिल करते हुए) को घटाकर, पीठासीन अधिकारी भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के पद पर दिनांक 01 सितम्बर, 2016 से अथवा उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है.

2. उपरोक्तानुसार नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 1-18/2016/32.—राज्य शासन, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 28 की उपधारा (1) एवं (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा उक्त दोनों अधिनियमों के लिए एकल व्यक्ति अपील प्राधिकारी का गठन करता है साथ ही श्री संजय शुक्ला, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को अपील प्राधिकारी नियुक्त करता है.

2. उपरोक्तानुसार अपील प्राधिकारी को प्राप्त होने वाली अपीलों की सुनवाई की जाकर अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपीलों का निपटारा यथासम्भव शीघ्र किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, संयुक्त सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक एफ-1-08/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित राज्य वन सेवा अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए रिक्त वनमण्डलाधिकारी के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्रीमती प्रियंका पाण्डेय (रा.व.से.)	उप वनमण्डलाधिकारी, अंबिकापुर वनमण्डल, सरगुजा.	प्रभारी वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग, वनमण्डल दुर्ग.
2.	श्री दुलेश्वर प्रसाद साहू (रा.व.से.)	उप वनमण्डलाधिकारी, पूर्व कोण्डागांव, वनमण्डल दक्षिण कोण्डागांव.	प्रभारी वनमण्डलाधिकारी, अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल, बिलासपुर.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ-1-13/2002/10-भा.व.से.—राज्य शासन, एतद्द्वारा भारतीय वन सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2008 के नियम 3(1) (B) (ii) के परंतुक के अंतर्गत निम्नलिखित भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को आवंटन वर्ष से 09 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान पी.बी. : 3, रु. 15600-39100, ग्रेड वेतन 7600 में अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम	पात्रता तिथि
1.	श्री आर. के. तिवारी (1999)	01-01-2008
2.	श्री माथेश्वरन व्ही. (2006)	01-01-2015
3.	श्री विश्वेश कुमार (2007)	01-01-2016
4.	श्रीमती एम. मर्सीबेला (2007)	01-01-2016
5.	श्री कृष्ण राम बढ़ई (2007)	01-01-2016
6.	श्री मनोज कुमार पाण्डेय (2007)	01-01-2016
7.	श्री आलोक कुमार तिवारी (2007)	01-01-2016
8.	श्री अमिताभ बाजपेयी (2007)	01-01-2016
9.	श्री राम अवतार दुबे (2007)	01-01-2016
10.	श्री बी. एस. ठाकुर (2007)	01-01-2016
11.	श्री रमेश चन्द्र दुग्गा (2007)	01-01-2016

2. उपरोक्त तालिका के सरल क्र. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 में उल्लेखित अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जाता है कि वे भविष्य में मिड कैरियर ट्रेनिंग, फेस-3 कार्यक्रम में अनिवार्यत: भाग लेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ईमिल लकड़ा, संयुक्त सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 1-25/2005/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 8 के उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(4) इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, दुकानों के ऊपरी या निचले तल पर, किसी बैंक या कार्यालय को विक्रय या पट्टे पर अंतरित करने हेतु, निर्मित/प्रस्तावित भवन, जिसका कारपेट क्षेत्रफल तीन सौ वर्गफीट या इससे अधिक हो, पर लागू नहीं होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 1-25/2005/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-25/2005/18 दिनांक 09-08-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 9th August 2016

No. : F 1-25/2005/18.— In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 80 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Corporation (Transfer of Immovable Property) Rules, 1994, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, -

After sub-rule (3) of rule 8, the following shall be added, namely :—

"(4) Nothing contained in this rule shall apply to a building having a carpet area of three hundred square feet or more, constructed/proposed for construction above or beneath shops, for transfer on sale or lease to a bank or office."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 1-25/2005/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 8 के उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(4) इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, दुकानों के ऊपरी या निचले तल पर, किसी बैंक या कार्यालय को विक्रय या पट्टे पर अंतरित करने हेतु, निर्मित/प्रस्तावित भवन, जिसका कारपेट क्षेत्रफल तीन सौ वर्ग फीट या इससे अधिक हो, पर लागू नहीं होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 1-25/2005/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-25/2005/18 दिनांक 09-08-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 9th August 2016

No. : F 1-25/2005/18.— In exercise of the powers conferred by Section 355 read with Section 109 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Government of Chhattisgarh makes the following further amendments in the Chhattisgarh Municipalities (Transfer of Immovable Property) Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, -

After sub-rule (3) of rule 8, the following shall be added, namely :—

"(4) Nothing contained in this rule shall apply to a building having a carpet area of three hundred square feet or more, constructed/proposed for construction above or beneath shops, for transfer on sale or lease to a bank or office."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2011/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 433 सहपठित धारा 292-क, 292-ख, 292-ग, 292-च, 292-झ तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 36 सन् 1961) की धारा 355, 356 सहपठित धारा 339-क, 339-ख, 339-ग, 339-च, 339-झ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन तथा शर्तें) नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (च) में, शब्द "विहित मानक" के स्थान पर, शब्द "शासन द्वारा समय-समय पर यथा विहित शर्तों एवं मानकों" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 10 के उप-नियम (6) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
   "(क) प्रत्येक भवन/फ्लैट का कारपेट क्षेत्रफल तीस वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिये तथा साठ वर्ग मीटर से अधिक नहीं होना चाहिये."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 अगस्त 2016

क्रमांक एफ 7-8/2011/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2011/18 दिनांक 10-08-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 10th August 2016

No. F 7-8/2011/18.— In exercise of the powers conferred by Section 433 read with Section 292-A, 292-B, 292-C, 292-F, 292-I of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No.23 of 1956) and Sections 355, 356 read with Sections 339-A, 339-B, 339-C, 339-F, 339-I of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No.37 of 1961), the State Government, hereby, make the following further amendments in the Chhattisgarh Municipal Corporation and Municipalities (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (f) of sub-rule (1) of rule 2, for the words "prescribed standards", the words "term and standerds as may be prescribed by the Government from time to time" shall be substituted;

2. For clause (a) of sub-rule (6) of rule 10, the following shall be substituted, namely :—
   "(a) The carpet area of each house/flat should not be less than thirty square meters and not be more than sixty square meters."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 मार्च 2016

क्रमांक 02/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	अचानकपुर प.ह.नं. 31	1.39	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	अमोरा एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12198/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रामभाँठा प.ह.नं. 08	0.048	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5 खरसिया, जिला-रायगढ़.	रामभाँठा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12200/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	ठनगन प.ह.नं. 10	0.028	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5 खरसिया, जिला-रायगढ़.	सिंघरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 12202/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	काँसा प.ह.नं. 15	0.153	कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्रमांक 5 खरसिया, जिला-रायगढ़.	काँसा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-धरमजयगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बहेरामुड़ा, प.ह.नं. 53
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.942 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	387/1	0.046
	387/3	0.356
	387/2	0.785
	387/4	0.454
	387/12	0.243
	405	0.563
	406/2	0.190
	411/2	0.219
	388/6	0.330
	388/7	0.075
	388/8	0.047
	388/9	0.057
	388/10	0.053
	388/11	0.061
	401/1	0.474
	401/2	0.454
	407	0.202
	403/1	0.135
	403/2	0.555
	(404-0.474)	
	406/1	0.235
	406/3	0.150
	412/1	0.146
	412/2	0.182
	413/1	0.240
	413/2	0.294
	414	0.194
	406/4	0.202
योग	27	6.942

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बहेरामुड़ा एनीकट योजना के अन्तर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, धरमजयगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-परसदावेद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.89 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
171/17	0.18

(1)	(2)
171/18	0.08
171/12	0.04
171/11	0.06
171/8	0.04
171/4	0.04
171/3	0.07
171/2	0.07
167/3	0.06
162/1	0.06
162/6	0.05
167/2	0.05
167/11	0.03
162/4	0.03
165/4	0.03
165/2	0.03
166/1	0.08
165/3	0.03
172/1	3.64
172/1	1.22
योग	5.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-वेदपरसदा जलाशय योजना के बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मस्तूरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अगस्त 2016

क्रमांक 33/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मेड़पारबाजार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.511 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
111/1	0.085
113	0.036
118	0.024
119	0.032
120/1	0.020
121	0.008
128	0.040
130	0.040
131	0.012
145/1	0.008
145/2	0.032
205	0.214
208	0.061
207/3	0.008
204/2	0.040
207/2	0.081
223/2	0.053
223/1	0.231
222	0.008
303	0.016
304	0.020
305	0.012
292/1	0.012
292/2	0.012
292/3	0.012
293/1	0.020
296/2	0.004
297/3	0.012
179/1	0.016
178/2	0.020
178/1	0.020
177/1	0.016
175/3	0.016
175/4	0.020
176/1	0.020
176/2	0.020
164, 165	0.024
163/2	0.028
162/1	0.057
149/1	0.073
149/2	0.020

	(1)	(2)
	147/1	0.008
योग	43	1.511

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- काठाकोनी मेड़पार मार्ग के चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 05/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-नेवरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.931 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
804	0.182
803/2, 802/2	0.073
807/2	0.182
807/4	0.154
807/5	0.113
810/1	0.194
809/1	0.142
1420/2	0.028
809/10	0.040
811	0.154
818/2	0.405
818/3	0.174
817/3	0.081
817/4	0.081
1499/2	0.045
1323	0.081
1330/2	0.097
1324, 1325/1	0.121
1325/2	0.243
1327/1	0.194
1328	0.065
1322/4	0.243
1329	0.214
1330/1	0.182
1330/3	0.186
1331	0.040
1430/1	0.729
1430/3	0.113
1429/3	0.267
1430/2	0.214
1404/1	0.154
1403/2	0.081
1406	0.555
1404/2	0.162
1403/1	0.243
1403/3	0.154
1432/3	0.113
1436/1	0.202
1436/2	0.194
1433	0.178
1435	0.049
1420/1	0.049
1434/3	0.113
1409	0.016
819	0.069
1318	0.061
1319/1	0.223
1319/2	0.113
1322/1	0.065
1322/2	0.304
1322/3	0.142
1499/1	0.045
1421/1	0.405
1421/2	0.251
1434/2	0.121
1408/1	0.024
1431/1	0.040
1431/2	0.141
1408/2	0.053
1405	0.283

	(1)	(2)
	1407/1	0.283
	1407/2	0.162
	1410/1	0.170
	1410/3	0.081
	1410/4	0.486
	808/2	0.081
	1420/3	0.008
	1422	0.020
योग	69	10.931

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 16/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केकती
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.227 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
394	0.012
395	0.429
531	0.259
532	0.227
396	0.032
401	0.364
399/2	0.004
400	0.073
402	0.198
419, 422	0.020
420	0.198
478	0.146
970	0.040
421	0.020
477	0.105
482	0.040
815/3	0.012
476	0.081
475/1	0.097
475/2	0.126
474	0.081
473	0.016
472	0.077
471	0.113
470	0.081
493	0.004
494	0.089
462/1	0.129
462/2	0.073
463	0.012
821	0.008
461	0.226
536	0.154
460	0.032
501	0.061
459	0.247
499	0.024
500	0.089
450	0.093
451	0.069
535	0.223
537	0.053
1185	0.024
818	0.040
451/2	0.073
458	0.129
502/1	0.012
502/2	0.016
449	0.138
448	0.057
447	0.036
446	0.057
445	0.150

(1)	(2)
325	0.024
530	0.093
533	0.089
534	0.057
806	0.162
300	0.012
816	0.024
817	0.243
820	0.016
805/1	0.024
809	0.146
805/2	0.032
768	0.077
769	0.129
810	0.255
811	0.219
812	0.028
814	0.032
801/2	0.073
802	0.109
1497	0.040
766	0.154
767	0.113
765	0.227
770	0.061
764	0.040
763	0.008
758/1	0.089
758/2	0.089
759	0.202
756/1, 756/5	0.194
756/3	0.020
753	0.008
968/2	0.061
971	0.162
972	0.174
973/1	0.340
973/2	0.040
975	0.008
974, 976/1, 977, 978/1	0.186
1037, 1041/1, 1042, 1043/1, 1044/1, 1045/1, 1046/1	0.478
1155/1, 1155/2	0.251
1041/2, 1043/2, 1044/2, 1045/2, 1046/2	0.154
1154	0.016
1172/1	0.214
1172/2	0.162
1172/3, 1173	0.113
1200	0.040
1199	0.101
1174	0.202
1175/1	0.178
1175/2	0.170
1175/3	0.162
1176/1	0.024
1168/5	0.049
1187/1, 1187/2, 1187/3	0.336
1186/1	0.227
1186/2	0.121
योग 130	12.227

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 29/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-राजपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.605 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
374/2	0.081

(1)	(2)
374/1	0.101
423	0.061
420	0.020
425	0.061
424/4	0.182
376	0.032
375	0.202
421/1	0.012
478/3	0.081
379	0.206
472/1	0.061
472/3	0.012
472/5	0.024
1145	0.129
380/1	0.089
380/2	0.085
381	0.020
421/2	0.089
422	0.061
424/1	0.198
452	0.125
457	0.049
458	0.049
428/3	0.061
448	0.016
453	0.073
450	0.020
459	0.648
462	0.020
1063, 1064, 1065, 1070/2, 1075/2, 1076, 1077,1083, 1084	0.688
460	0.243
471, 478/1	0.162
1143/1	0.162
1143/2	0.020
1144	0.061
1146/1	0.020
1132/3	0.049
1132/4	0.162
1131	0.227
937, 1066, 1067, 1070/1, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075/1	0.607
1079, 1080, 1081, 1082, 1090	0.089
424/2	0.283
424/3	0.223
426/1	0.020
426/2	0.049
427/2	0.101
454, 455	0.081
456	0.073
428/1	0.101
428/2	0.154
478/2	0.097
472/2	0.032
472/4	0.012
473/1	0.040
473/2	0.040
1140	0.121
1141/1	0.170
1141/2	0.032
1142	0.174
1092, 1093, 1096/1, 1096/2	0.202
1078	0.162
1091/2	0.040
479	0.020
1168/1	0.020
योग 89	7.605

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक 44/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-छेरकाबांधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-27.559 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	215/1	1.065
		226	0.170
8	0.372	228/1	0.518
20	0.202	228/2	0.040
9	0.117	210/1	0.004
6	1.343	35/3	0.368
5/1, 5/3	0.053	85/2	0.020
7	0.502	34/2	0.190
16	0.449	34/3	0.162
19/1	0.267	32/1क	0.308
21	0.304	32/1ग	0.194
23/10	0.364	32/2ग	0.129
23/11	0.150	52	0.012
23/8	0.218	49	0.057
24/1	0.194	168/3	0.178
24/2	0.757	50	0.308
35/1	0.315	51	0.032
35/2	0.008	46/7	0.049
32/1ख	0.186	46/1	0.308
48	1.428	47	0.380
93/1	0.024	92/2	0.016
93/2	0.392	94	0.085
93/3	0.150	168/2	0.077
95	0.547	168/4	0.142
96	0.926	168/5	0.315
97	0.551	180/1	0.210
103	0.121	180/5	0.255
91	0.275	180/3	0.057
170	0.631	181/2	0.162
171	0.445	182	0.445
169/1	0.040	183	0.291
169/2	0.502	211	0.040
169/3	0.097	213	0.210
169/4	0.186	184/1	0.405
169/6	0.105	184/2	0.182
184/3	0.040	184/4	0.040
184/5, 184/6	0.243	215/2	0.020
200/1	0.134	231	0.223
200/2	0.150	228/11	0.008
199/3	0.494	228/10	0.202
245	0.479	238/1	0.012
212/1	0.037	238/2	0.097
214/1	0.089	238/3	0.057
212/2	0.130	237	0.992
214/2	0.085	241/1	0.599
227/1	0.433	230/2	0.105
227/2	0.194	241/2	0.121
225	0.182	243, 244	1.699

	(1)	(2)
	85/1	0.134
	162	0.218
	228/5	0.304
	228/6	0.304
	228/3	0.129
योग	99	27.559

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दुर्ग, दिनांक 31 अगस्त 2016

क्रमांक/1606/अ.भू-अ.प्र./02/अ-82/वर्ष 2015-16—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-धमधा
- (ग) नगर/ग्राम-लिटिया, प.ह.नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.95 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	191/1, 191/2	0.07
	224, 245/3	0.32
	248/1, 248/2	0.18
	240	0.15
	247/3	0.12
	246/1	0.05
	245/1	0.38
	245/2	0.10
	241/1, 241/2	0.15
	252	0.29
	262/2	0.14
योग	15	1.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-लिटिया जलाशय के अंतर्गत नहर नाली निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमधा मु. दुर्ग (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अगस्त 2016

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भार.अधि./2016-17/3237.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3309-3310 रायपुर दिनांक 25-09-2014 द्वारा श्री एम. एल. थावरे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकरी नेवरा को कृषि उपज मण्डी समिति नेवरा जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर रायपुर दिनांक 29-07-2016 को अनुमोदित नोटशीट प्रस्ताव के संदर्भ में उपसंचालक कृषि जिला रायपुर का पत्र क्र. 2281 दिनांक 01-08-2016 द्वारा श्री जी. एस. यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तिल्दा को कृषि उपज मंडी समिति नेवरा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री एम. एल. थावरे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आरंग में पदस्थ हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री जी. एस. यादव, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तिल्दा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति नेवरा जिला रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/3296.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भार.अधि./2015-16/4969-4970 दिनांक 09-10-2015 द्वारा श्री भूपेन्द्र सिंह जोशी, प्रभारी तहसीलदार तहसील कार्यालय अकलतरा को कृषि उपज मंडी समिति अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री भूपेन्द्र सिंह जोशी, प्रभारी तहसीलदार कार्यालय अकलतरा का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर डॉ. आर. एल. अम्बादे अनुविभागीय अधिकारी कृषि तहसील पामगढ़ जिला जांजगीर-चांपा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्रमांक 2986/जि.वि.स. एवं नि.स./जि.पं./2016.—भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के आदेश क्रमांक No. Q-130/1/2016-VMC दिनांक 27-06-2016 में निहित निर्देशों के परिपालन में जिला विकास समन्व और निगरानी समिति (दिशा) का गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

1.	मान. सांसद सदस्य लोकसभा कोरबा	अध्यक्ष
2.	मान. विधायक विधान सभा क्षेत्र बैकुण्ठपुर	सदस्य
3.	मान. विधायक विधान सभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत	सदस्य
4.	मान. विधायक विधान सभा क्षेत्र मनेन्द्रगढ़	सदस्य
5.	मान. अध्यक्ष जिला पंचायत कोरिया	सदस्य
6.	कलेक्टर जिला कोरिया	सदस्य सचिव
7.	राज्य सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
8.	मान. मेयर नगरपालिक निगम चिरमिरी	सदस्य
9.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया	सदस्य
10.	अध्यक्ष नगरपालिका बैकुण्ठपुर	सदस्य
11.	अध्यक्ष नगरपालिका मनेन्द्रगढ़	सदस्य
12.	अध्यक्ष नगरपालिका शिवपुर-चरचा	सदस्य
13.	अध्यक्ष जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर	सदस्य

14.	अध्यक्ष जनपद पंचायत सोनहत	सदस्य
15.	अध्यक्ष जनपद पंचायत खडगवां	सदस्य
16.	अध्यक्ष जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़	सदस्य
17.	अध्यक्ष जनपद पंचायत भरतपुर	सदस्य
18.	सरपंच ग्राम पंचायत जमथान	सदस्य
19.	सरपंच ग्राम पंचायत अमहर	सदस्य
20.	सरपंच ग्राम पंचायत मनवारी	सदस्य
21.	सरपंच ग्राम पंचायत बंशीपुर	सदस्य
22.	सरपंच ग्राम पंचायत उधनापुर	सदस्य
23.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैकुण्ठपुर	सदस्य
24.	अधीक्षक डॉकघर अम्बिकापुर	सदस्य
25.	नोडल अधिकारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) जिला कोरिया.	सदस्य
26.	नोडल अधिकारी दीन दयाल अंत्योदय योजना-एनआरएलएम जिला-कोरिया	सदस्य
27.	नोडल अधिकारी दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकवाई) जिला-कोरिया.	सदस्य
28.	नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) जिला-कोरिया	सदस्य
29.	नोडल अधिकारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) जिला कोरिया	सदस्य
30.	नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमजीएवाई-जी) जिला-कोरिया	सदस्य
31.	नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) जिला कोरिया	सदस्य
32.	नोडल अधिकारी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) जिला कोरिया	सदस्य
33.	नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम जिला कोरिया.	सदस्य
34.	नोडल अधिकारी डिजिटल भारत भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) जिला कोरिया.	सदस्य
35.	नोडल अधिकारी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना (डीडीयू-जीजेवाई) जिला-कोरिया.	सदस्य
36.	नोडल अधिकारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन-राष्ट्रीय रर्बन मिशन (एनआरयूएम) जिला-कोरिया.	सदस्य
	नोडल अधिकारी राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना (एचआरआईडीएवाई) जिला-कोरिया.	सदस्य
37.	नोडल अधिकारी अटल मिशन फॉर रिजूवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफोर्मेशन (एएमआरयूटी) जिला-कोरिया.	सदस्य
38.	नोडल अधिकारी स्मार्ट सिटी मिशन जिला-कोरिया	सदस्य
39.	नोडल अधिकारी उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) जिला-कोरिया	सदस्य
40.	नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जिला-कोरिया	सदस्य
41.	नोडल अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जिला कोरिया	सदस्य
42.	नोडल अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) जिला कोरिया	सदस्य
43.	नोडल अधिकारी समेकित बाल विकास योजना (पीएमएफबीवाई) जिला कोरिया	सदस्य
44.	नोडल अधिकारी मिड-डे मील स्कीम जिला कोरिया	सदस्य
45.	नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री उज्जवल योजना (पीएमयूवाई)-बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन जिला-कोरिया.	सदस्य
46.	नोडल अधिकारी जलमार्ग विकास परियोजना जिला कोरिया	सदस्य
47.	नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जिला कोरिया	सदस्य
48.	नोडल अधिकारी डिजिटल इंडिया-पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम-प्रत्येक ग्राम सदस्य पंचायत में सामान्य सेवा केन्द्र उपलब्ध कराना, जिला-कोरिया.	सदस्य
49.	नोडल अधिकारी टेलीकॉम, रेलवेज, हाइवेज, वाटरवेज, माइन्स जैसे अवसंरचना संबंधी कार्यक्रम जिला कोरिया.	सदस्य

मनोनित सदस्य

50.	श्री देवेन्द्र प्रताप तिवारी पिता स्व. श्री शिवराज सिंह तिवारी ग्राम घुटरा पो. कटकोड़ी जिला-कोरिया.	सदस्य
51.	श्री श्याम बाबू खटीक पिता श्री रामदास खटीक बड़ा बाजार पो. चिरमिरी जिला-कोरिया	सदस्य
52.	श्री राम सिंह पिता देवसिंह, पो. मनसुख वि.खं. बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया	सदस्य
53.	श्रीमती गौरी बाई ग्राम/पो. कोटाडोल वि.खं. भरतपुर जिला कोरिया	सदस्य

एस. प्रकाश,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 12th August 2016

No. 582/Confdl./2016/II-2-90/2001 (Pt. III).—Shri Ajay Singh Rajput, Member of Lower Judicial Service, presently posted as Deputy Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur, who has been promoted and appointed as District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government vide its order/endt. bearing no. 7169/2079/XXI-B/C.G./2016 dated 30-07-2016, is appointed as Additional Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, Bilaspur in the Establishment of the High Court from the date he assumes charge of his office.

Bilaspur, the 12th August 2016

No. 586/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) and posted on the post of Special Judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 at the place mentioned in Column No. (4) from the date he assumes charge of his office and ;

The following member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No.	Name & presently posted as	From	To	Session Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Suresh Kumar Soni, I Additional District & Sessions Judge.	Janjgir-Champa	Bilaspur	Bilaspur	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act.

Bilaspur, the 12th August 2016

No. 570/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their officer(s) :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Manvendra Singh II Additional District & Sessions Judge.	Dantewara	Saraipali	Mahasamund	Additional District & Sessions Judge.
2.	Smt. Kiran Chaturvedi, Deputy Secretary, Chhattisgarh Lok Ayog.	Raipur	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Pankaj Kumar Sinha, Additional District & Sessions Judge.	Saraipali	Raipur	Raipur	VII Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Satyendra Kumar Sahu, III Additional Principal Judge, Family Court.	Durg	Durg	Durg	I Additional District & Sessions Judge.
5.	Shri Shakti Singh Rajput Additional Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).
6.	Shri Govind Narayan Jangade, Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Raigarh	Raigarh	II Additional District & Sessions Judge.
7.	Shri Yogesh Pareek, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).	Raigarh	Dhamtari	Dhamtari	Additional District & Sessions Judge.
8.	Smt. Mamta Shukla, II Additional District & Sessions Judge.	Raigarh	Raigarh	Raigarh	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).
9.	Shri Gregory Tirkey, Chairman Permanent Lok Adalat.	Jagdalpur	Dantewara	Dantewara	II Additional District & Sessions Judge.
10.	Shri Nand Kumar Singh Thakur, Chairman, Permanent Lok Adalat.	Durg	Dantewara	Dantewara	I Additional District & Sessions Judge.
11.	Smt. Prisilla Paul Horo, Chairman, Permanent Lok Adalat.	Ambikapur	Jagdalpur	Jagdalpur	II Additional District & Sessions Judge.
12.	Ku. Sanghratna Bhatpahari, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.).	Rajnandgaon	Janjgir	Janjgir-Champa	I Additional District & Sessions Judge.
13.	Shri Mansoor Ahmed, I Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.	Durg	Durg	Durg	IV Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Smt. Vandana Deepak Dewangan, VIII Additional District & Sessions Judge.	Durg	Sakti	Jangir-Champa	II Additional District & Sessions Judge.
15.	Shri Rajendra Kumar Verma, I Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.	Raipur	Raipur	Raipur	VIII Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 12th August 2016

No. 572/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2), who have been promoted and appointed as District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government vide its order/endt. bearing No. 7169/2079/XXI-B/C.G./2016 dated 30-07-2016, are transferred from the place specified in Column No. (3) to the place specified in Column No. (4) and posted in the capacity as specified in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) and ;

The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2), who have been promoted and appointed as District Judge (Entry level) in officiating capacity by the State Government, are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date they assume charge of their office(s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vivek Kumar Tiwari (Sr.), I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	II Additional District & Sessions Judge.
2.	Smt. Tajeshwari Devi Dewangan, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Kanker	Raipur	Raipur	IX Additional District & Sessions Judge.
3.	Shri Pankaj Sharma, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Durg	Durg	Durg	VII Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri Deepak Kumar Gupta, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Kondagaon	Durg	Durg	VIII Additional District & Sessions Judge.
5.	Shri Sunil Kumar Nande, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Raigarh	Raipur	Raipur	Additional District & Sessions Judge.
6.	Shri Manoj Kumar Singh Thakur, Civil Juge Class-I & C.J.M., Balrampur at Ramanujganj.	Ramanujganj	Dantewara	Dantewara	Additional District & Sessions Judge of the Special Court for trial of naxalite cases at Dantewara.
7.	Smt. Mamta Patel, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Mahasamund	Mahasamund	Mahasamund	II Additional District & Sessions Judge.
8.	Smt. Heemanshu Jain, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Balod	Korba	Korba	II Additional District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Shri Anish Dubey, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Korba	Raigarh	Raigarh	II Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.
10.	Shri Shahabuddin Qureshi, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Sukma	Raigarh	Raigarh	I Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.
11.	Shri Rakesh Kumar Verma, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Bemetara	Raipur	Raipur	I Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.
12.	Shri Vivek Kumar Tiwari, (Jr.), I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Kabirdham (Kawardha)	Durg	Durg	I Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.
13.	Shri Ashish Pathak, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Raipur	Raigarh	Raigarh	III Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.
14.	Shri Bhanu Pratap Singh Tyagi, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Baloda-Bazar	Raipur	Raipur	II Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.
15.	Smt. Neeru Singh, Secretary, District Legal Services Authority.	Rajnandgaon	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	II Additional District & Sessions Judge.
16.	Shri Atul Kumar Shrivastava, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Surajpur	Raipur	Raipur	III Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.
17.	Shri Lavakesh Pratap Singh Baghel, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Rajnandgaon	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	IV Additional District & Sessions Judge.
18.	Shri Anand Prakash Wariyal, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Jashpur	Kunkuri	Jashpur	Additional District & Sessions Judge.
19.	Shri Chandra Kumar Kashyap, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Dhamtari	Raipur	Raipur	IV Addl. Judge to the Court of I Additional District & Sessions Judge.
20.	Shri Shrikant Shrivas, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Gariaband	Rajnandgaon	Rajnandgaon	II Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 12th August 2016

No. 574/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The following Civil Judges Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate/ Additional Chief Judicial Magistrate, as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vivek Kumar Verma I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Ambikapur	Raipur	Raipur	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
2.	Shri Kamlesh Jagdalla, Civil Judge Class-I & A.C.J.M.	Khairagarh	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	I Civil Judge Class-I & C.J.M.

Bilaspur, the 12th August 2016

No. 575/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The following Senior Civil Judges, as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are appointed as Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate/Additional Chief Judicial Magistrate for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Sarita Das, Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.	Korba	Balod	Balod	Civil Judge Class-I & C.J.M.
2.	Smt. Yogita Vinay Wasnik, III Civil Judge Class-I.	Jagdalpur	Dhamtari	Dhamtari	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
3.	Ku. Sanjaya Ratre, II Civil Judge Class-I.	Durg	Jashpur	Jashpur	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
4.	Shri Jitendra Kumar Thakur, II Civil Judge Class-I.	Baloda-Bazar	Bemetara	Bemetara	Civil Judge Class-I & C.J.M.
5.	Shri Jagdish Ram, Civil Judge Class-I.	Bilha	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
6.	Shri Anil Kumar Bara, Civil Judge Class-I.	Gunderdehi	Surajpur	Surajpur	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
7.	Ku. Mohani Kanwar, II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.	Durg	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Civil Judge Class-I & C.J.M.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Shri Avinash Tiwari, Secretary, District Legal Services Authority.	Durg	Mahasamund	Mahasamund	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
9.	Shri Prashant Kumar Shivhare, Civil Judge Class-I.	Pratappur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
10.	Shri Aditya Joshi, Civil Judge Class-I.	Bhanu-pratappur	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
11.	Smt. Pallavi Tiwari, III Civil Judge Class-I.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
12.	Smt. Urmila Gupta, III Civil Judge Class-I.	Durg	Korba	Korba	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
13.	Shri Balaram Sahu, II Civil Judge Class-I.	Surajpur	Raigarh	Raigarh	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
14.	Shri Dilesh Kumar Yadav, Civil Judge Class-I.	Manendra-garh	Kondagaon	Kondagaon	Civil Judge Class-I & C.J.M.
15.	Shri Shailesh Achyut Patwardhan, Civil Judge Class-I.	Akaltara	Gariaband	Gariaband	I Civil Judge Class-I & C.J.M.
16.	Shri Leeladharsai Yadav, II Civil Judge Class-I.	Mungeli	Ramanujganj	Balrampur	Civil Judge Class-I & C.J.M., Balrampur at Ramanujganj.
17.	Shri Rakesh Kumar Som, Civil Judge Class-I.	Ramanujganj	Khairagarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I & A.C.J.M.
18.	Shri Kamlesh Kumar Jurri, II Civil Judge Class-I.	Rajnandgaon	Sukma	Sukma	Civil Judge Class-I & C.J.M.
19.	Shri Anand Prakash Dixit, Civil Judge Class-I.	Bhili-3	Durg	Durg	I Civil Judge Class-I & C.J.M.

Note :— The above officers shall not be entitled to the pay-scale mentioned in Rule 3 (2)(b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 unless they complete five years of continuous service as Civil Judge Class-I/Senior Civil Judge.

Bilaspur, the 12th August 2016

No. 577/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The following Civil Judges (Entry Level) as mentioned in Column No. (2) of the table below, are hereby promoted and appointed to the post of Senior Civil Judge and consequently are transferred from the place, as specified in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume

charge of their office (s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Mahesh Kumar Raj, Civil Judge Class-II.	Manendragarh	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-I
2.	Shri Manish Kumar Dubey, Civil Judge Class-II.	Patthalgaon	Bilha	Bilaspur	Civil Judge Class-I
3.	Smt. Chhaya Singh, Civil Judge Class-II.	Simga	Akaltara	Janjgir-Champa	II Civil Judge Class-I
4.	Shri Balram Kumar Dewangan Civil Judge Class-II.	Balrampur	Durg	Durg	III Civil Judge Class-I
5.	Ku. Chitralekha Sonwani, Civil Judge Class-II.	Dondilohara	Mungeli	Mungeli	Civil Judge Class-I
6.	Shri Mohan Singh Korram, Civil Judge Class-II.	Saja	Durg	Durg	II Civil Judge Class-I
7.	Shri Ajay Kumar Xaxa, Civil Judge Class-II.	Malkharoda	Pratappur	Surajpur	Civil Judge Class-I
8.	Smt. Rashmi Netam, Civil Judge Class-II.	Lormi	Rajnandgaon	Rajnandgaon	II Civil Judge Class-I
9.	Ku. Yashoda Kashyap, III Civil Judge Class-II.	Raipur	Gunderdehi	Balod	Civil Judge Class-I
10.	Shri Roopnarayan Pathare, Civil Judge Class-II.	Wadrafnagar	Ramanujganj	Balrampur	Civil Judge Class-I
11.	Shri Krishnakant Bhardwaj, Civil Judge Class-II.	Bacheli	Bhanu-pratappur	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-I
12.	Shri Pankaj Alok Tirkey, Civil Judge Class-II.	Pakhanjur	Surajpur	Surajpur	II Civil Judge Class-I

Bilaspur, the 12th August 2016

No. 579/Confdl./2016/II-3-1/2016.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Amit Jindal, I Civil Judge Class-II.	Dantewara	Bacheli	Sukma	Civil Judge Class-II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Smt. Archana Bhaskar, I Civil Judge Class-II.	Bemetara	Durg	Durg	VI Civil Judge Class-II
3.	Ku. Sakshee Dixit, I Civil Judge Class-II.	Raigarh	Manendragarh	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-II
4.	Shri Sheelu Singh, III Civil Judge Class-II.	Durg	Pakhanjur	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-II
5.	Ku. Namita Anne Minj, II Civil Judge Class-II.	Durg	Lormi	Mungeli	Civil Judge Class-II
6.	Shri Sumit Kumar Harsyana, IX Civil Judge Class-II.	Durg	Saja	Bemetara	Civil Judge Class-II
7.	Ku. Manisha Thakur, II Civil Judge Class-II.	Janjgir	Patthalgaon	Jashpur	Civil Judge Class-II
8.	Shri Vyankatesh Singh, VII Civil Judge Class-II.	Durg	Balrampur	Balrampur	Civil Judge Class-II
9.	Ku. Sarojani Parmar, IV Civil Judge Class-II.	Raipur	Dondilohara	Balod	Civil Judge Class-II
10.	Shri Rosemin Rajesh Xaxa, IV Civil Judge Class-II.	Ambikapur	Wadrafnagar	Balrampur	Civil Judge Class-II
11.	Shri Vijendra Sonwani, XIII Civil Judge Class-II.	Raipur	Simga	Balodabazar	Civil Judge Class-II
12.	Ku. Pratibha Markam, XIV Civil Judge Class-II.	Raipur	Malkharoda	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II
13.	Smt. Chandrakala Devi Sahu, II Civil Judge Class-II.	Surajpur	Jaijaipur	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.